



राजस्थान सरकार

गृह रक्षा विभाग
वार्षिक प्रतिवेदन

2018–19



निदेशालय, गृह रक्षा
राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार

गृह रक्षा विभाग
वार्षिक प्रतिवेदन

2018–19



निदेशालय, गृह रक्षा
राजस्थान, जयपुर

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

भाग -1

भूमिका :

चीनी आक्रमण के परिपेक्ष्य में सन् 1962 में स्थापित गृह रक्षा संगठन का गठन प्रदेश के कुछेक जिलों में आरम्भ हुआ था, जिसकी बढ़ती हुई उपयोगिता एवं लोकप्रियता के कारण आज यह एक महत्वपूर्ण विभाग बनकर उभरा है जिसकी इकाईयाँ राज्य के प्रत्येक जिले में स्थापित हैं एवं जिसमें प्रत्येक धर्म, वर्ग और क्षेत्र के लगभग 30714 होमगार्ड्स (स्त्री तथा पुरुष) स्वयं सेवकों की स्वीकृत नफरी है। “निष्काम सेवा” तथा राष्ट्र प्रेम की आधार भूमि पर खड़े इस विशाल वट वृक्ष की गृह रक्षा मूल शाखा है।

गृह रक्षा की तीन शाखायें हैं :-

1. सीमा गृह रक्षा
2. शहरी गृह रक्षा
3. ग्रामीण गृह रक्षा

सीमा गृह रक्षा राज्य के चार सीमान्त जिलों कमशः बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में है। शहरी गृह रक्षा राज्य के समस्त जिलों में एवं ग्रामीण गृह रक्षा राज्य के 22 जिलों में है। राज्य के 21 जिलों में शहरी गृह रक्षा में 1147 महिला स्वयं सेविकायें भी हैं। इस प्रकार कुल 30714 गृह रक्षा के प्रशिक्षित स्वयं सेवक/सेविकाएं हैं। गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नामांकन राजस्थान होम गार्ड्स रॉल्स 1962 के अन्तर्गत एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जिले के ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक नहीं होती है।

इस विभाग का गठन निम्न प्रकार किया हुआ है :-

1. गृह रक्षा, निदेशालय जयपुर (राज्य स्तर पर)
2. संयुक्त केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर (राज्य स्तर पर)
3. सीमा गृह रक्षा बटालियन (चार सीमान्त जिलों कमशः बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर, एवं श्री गंगानगर में)
4. शहरी, ग्रामीण गृह रक्षा इकाईयां (जिला स्तर पर)।

नियन्त्रण :

1. इस विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा के अधीन है। विभागाध्यक्ष के सहायक के रूप उप महासमादेष्टा स्तर के अधिकारी होते हैं। मुख्यालय एवम् अधीनस्थ इकाई में अधिकारी एवं अन्य अधीनस्थ स्टॉफ अधिकृत हैं।
2. संयुक्त केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा का प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशक के अधीन है, जो कि उप महासमादेष्टा स्तर के अधिकारी होते हैं जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु निदेशक के सहयोग के लिये उप समादेष्टा एवं अन्य स्टाफ अधिकृत हैं।
3. सीमा गृह रक्षा बटालियनों का नियन्त्रण गण समादेष्टा के अधीन है। इन अधिकारियों की सहायतार्थ उप गण समादेष्टा अधिकारी व अन्य कर्मचारी अधिकृत हैं।
4. शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा इकाईयां प्रत्येक जिले में स्थापित हैं जिनका नियन्त्रण समादेष्टा में निहित है तथा सहायक के रूप में अधीनस्थ कर्मचारी अधिकृत हैं।

भाग – 2

1. गृह रक्षा, निदेशालय

गृह रक्षा, निदेशालय जलेब चौक परिसर सिटी पैलेश से लगती हुयी बिल्डिंग जयपुर में स्थित है। इसके कुछ कार्यालय जैसे की केन्द्रीय भण्डार एवं एक डिस्पैसरी गर्वमेन्ट हॉस्टल जयपुर के सामने स्थित है। स्वीकृत स्टाफ की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियाँ	विशेष विवरण
भारतीय पुलिस सेवा :					
1.	महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा	1	1	-	
2.	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा	1	1	-	
3.	उप महानिदेशक पुलिस गृह रक्षा	1	1	-	
राजस्थान गृह रक्षा सेवा :					
1.	उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान	2	2	-	
2.	सीनियर स्टाफ ऑफिसर	2	1	1	
3.	जूनियर स्टाफ ऑफिसर	1	-	1	
4.	उप समादेष्टा (स्टोर)	1	1	-	
5.	उप समादेष्टा (एल.आर.)	2	-	2	
राजस्थान लेखा सेवा :					
1.	वित्तीय सलाहकार	1	1	-	
राजस्थान चिकित्सा सेवा :					
1.	वरिष्ठ चिकित्सक	1	1	-	
विभागीय अधीनस्थ सेवा :					
1.	कम्पनी कमाण्डर	1	1	-	
2.	कम्पनी कमाण्डर आर्मीरर	1	1	-	
3.	निरीक्षक (एम.टी.)	1	-	1	
4.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	-	1	
5.	प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.)	1	-	1	एक पी.सी रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित
6.	प्लाटून कमाण्डर	1	1	-	
7.	मुख्य आरक्षी	3	3	-	
8.	मुख्य आरक्षी आर्मीरर	2	-	2	दो एच.सी रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित
9.	आरक्षी	14	3	11	

10.	मशीनमैन	1	-	1	
11.	वाहन चालक	1	-	1	
12.	वार्ड ब्याय	1	-	1	
लेखा अधीनस्थ सेवा :					
1.	लेखाधिकारी	1	1	-	
2.	सहायक लेखाधिकारी-I	1	1	-	
3.	सहायक लेखाधिकारी-II	2	2	-	
4.	कनिष्ठ लेखाकार	3	2	1	
मंत्रालयिक सेवा :					
1.	निजी सचिव	1	1	-	
2.	निजी सहायक	2	2	-	
3.	प्रशासनिक अधिकारी	1	-	1	
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	2	2	-	
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	6	6	-	
6.	वरिष्ठ सहायक	11	11	-	
7.	कनिष्ठ सहायक	8	7	1	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	4	1	
2.	स्वीपर	1	1	-	
		योग	85	58	27

संयुक्त केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर :

राज्य में संयुक्त केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा की स्थापना वर्ष 1982 में जयपुर में की गई थी। यह प्रशिक्षण संस्थान गृह रक्षा संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को विभिन्न प्रकार के कोर्सों में प्रशिक्षित करता है तथा आवश्यकतानुसार एवं मांग पर अन्य विभागों के लिए भी प्रशिक्षण चलाता है। इस संस्थान पर नियन्त्रण उप महासमादेष्टा स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक प्रबन्धन के लिए स्वीकृत एवम् उपलब्ध स्टाफ का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियां	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1.	निदेशक	1	1	-	
2.	उप समादेष्टा	1	-	1	
अधीनस्थ सेवा :					
1.	सीनियर इंस्ट्रेक्टर	1	-	1	एक सी.सी रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित
2.	नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक	1	-	1	
3.	कम्पनी कमाण्डर	1	1	-	

4.	प्लाटून कमाण्डर	3	3	-	
5.	मुख्य आरक्षी	6	6	-	
6.	आरक्षी	13	2	11	
7.	बिगुलर	2	-	2	
8.	इम मैन	2	-	2	
9.	कांस्टेबल ड्राईवर	1	-	1	
लेखा सेवा					
1	सहायक लेखाधिकारी-गा	1	1	-	
मंत्रालयिक सेवा :					
1.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	1	1	-	
2.	शीघ्र लिपिक(स्टेनो)	1	-	1	
3.	वरिष्ठ सहायक (कलर्क ग्रेड-1)	1	1	-	
4.	कनिष्ठ सहायक (कलर्क ग्रेड-गा)	3	2	1	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चौकीदार	2	-	2	
2.	कुक	2	2	-	
3.	कारपेन्टर	1	1	-	
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	2	-	
	योग	46	23	23	

भाग – 3

गृह रक्षा संगठन :

गृह रक्षा के मुख्य कृत्य निम्न प्रकार हैं :—

1. कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना।
2. असामान्य आपदाओं में मदद करने के लिए एक नागरिक आपातकालीन संगठन के नाभिक होने के लिए।
3. सहायक, आग, बचाव, संचार और एम्बुलेंस सेवाओं के नाभिक प्रदान करने के लिए।
4. परिवहन, संचार बिजली, पानी और आवश्यक सेवाओं को संचालित करने के लिए, जब सामान्य सेवाएं काम नहीं कर रही हैं।
5. सरकार की सामाजिक कल्याण योजना में सहायता के लिए।
6. राज्य सरकार या महानिदेशक गृह रक्षा द्वारा समय—समय पर आंवटित किये जाने वाले अन्य कर्तव्यों को करने के लिए।

सीमा गृह रक्षा का मुख्य कृत्य सेना के सहायक के रूप में कार्य करना, सीमा क्षेत्र के निवासियों का मनोबल दृढ़ बनाये रखना तथा महत्वपूर्ण संस्थानों व संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा कर भारतीय सेना की कमान्ड में रहते हुए राष्ट्र की रक्षा करना है इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर चुनावों एवं अन्य अवसरों पर कानून—व्यवस्था बनाये रखने तथा आन्तरिक सुरक्षा में पुलिस/प्रशासन की सहायता करना है।

(अ) सीमा गृह रक्षा दल (24 कम्पनियाँ)

प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण राजस्थान में शहरी एवं ग्रामीण गृह रक्षा के अतिरिक्त प्रत्येक सीमान्त जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में एक—एक बोर्डर विंग होम गार्ड बटालियन स्वीकृत है। प्रत्येक बटालियन में 6 कम्पनियाँ स्वीकृत हैं एवं प्रत्येक कम्पनी में 111 स्वयं सेवक पदस्थापित हैं। इस प्रकार से बोर्डर विंग होम गार्ड की चारों बटालियनों की कुल नफरी 2664 स्वयं सेवकों की है।

इन चारों बटालियनों (24 कम्पनियाँ) के प्रशिक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सीमान्त जिलों में गण समादेष्टा पदस्थापित है तथा उनकी सहायतार्थ स्थाई स्टाफ की स्थिति निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियाँ	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1.	गण समादेष्टा	4	4	—	
2.	उप गण समादेष्टा	4	—	4	
अधीनस्थ सेवा :					
1.	कम्पनी कमाण्डर	28	3	25	
2.	प्लाटून कमाण्डर	76	20	56	चार एच.सी रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित

3.	प्लाटून कमाण्डर आरमोरर	4	—	4	
4.	प्लाटून कमाण्डर एम.टी.	4	1	3	
5.	मुख्य आरक्षी	24	22	2	6 मुख्य आरक्षीयों का बोर्डर होमगार्ड्स गणानगर में पी.सी. के रिक्त पदों के विरुद्ध वेतन आहरित किया जा रहा है।
6.	मुख्य आरक्षी एम.टी.	3	—	3	2 एच.सी रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित
7.	मुख्य आरक्षी आरमोरर	4	—	4	एक एच.सी रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित
8.	ड्राईवर / आरक्षी वाहन चालक	35	11	24	
9.	आरक्षी	103	14	89	
अधीनस्थ लेखा सेवा :					
1.	सहायक लेखाधिकारी—ा	4	2	2	
मंत्रालयिक सेवा :					
1.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	4	1	3	
2.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	4	3	1	
3.	वरिष्ठ सहायक	4	4	—	
4.	कनिष्ठ सहायक	20	11	9	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चौकीदार	21	10	11	
2.	स्वीपर	27	14	13	
	योग :	373	120	253	

(ब) शहरी गृह रक्षा (208 कम्पनियों) :-

राज्य के सभी 33 जिलों में शहरी गृह रक्षा दल की इकाईयां गठित हैं। इनमें 10 महिला कम्पनियों भी हैं जिनमें 1147 महिला स्वयं सेविकाएं हैं। महिला स्वयं सेविकाएं राज्य के 21 जिलों में आवंटित की हुई हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट—“ब” अनुसार है।

प्रशिक्षण, नियन्त्रण एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन करने हेतु जिला इकाईयों में शहरी गृह रक्षा में समादेष्टा पदस्थापित है तथा उनकी सहायतार्थ निम्नानुसार स्थाई स्टाफ आवंटित किया हुआ है :—

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियाँ	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1.	समादेष्टा (डिविजनल कमाण्डर)	7	5	2	एक समादेष्टा प्रतिनियुक्ति पर
2.	उप समादेष्टा	26	10	16	
अधीनस्थ सेवा :					
1.	कम्पनी कमाण्डर	20	12	8	
2.	प्लाटून कमाण्डर	73	45	28	एक एच.सी रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित
3.	मुख्य आरक्षी	62	56	6	
4.	वाहन चालक / आरक्षी वाहन चालक	10	2	8	
5.	आरक्षी	96	11	85	
अधीनस्थ लेखा सेवा :					
1.	सहायक लेखाधिकारी—ा	—	—	—	
2.	सहायक लेखाधिकारी—ा	12	7	5	
3.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	—	
अधीनस्थ चिकित्सा सेवा :					
1.	कम्पाउण्डर	1	1	—	
मंत्रालयिक सेवाएँ :					
1.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	13	08	05	
2.	वरिष्ठ सहायक	31	27	04	
3.	कनिष्ठ सहायक	39	24	15	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	2	1	
2.	चौकीदार	13	12	1	
3.	कुक	2	2	—	
4.	स्वीपर	7	4	3	
	योग :	416	229	187	

(स) ग्रामीण गृह रक्षा (47 कम्पनियाँ):

ग्रामीण क्षेत्रों में कानून—व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, रेलवे ट्रेक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण गृह रक्षा की इकाईयाँ गठित की गई हैं। इनका यह कार्य शहरी गृह रक्षा की निर्धारित भूमिका के अतिरिक्त है। वर्तमान में ग्रामीण गृह रक्षा इकाई 22 जिलों (अजमेर, अलवर, बांसा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बून्दी, चूरू, चितोड़गढ़, दौसा, धोलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुन्झुनूं जोधपुर, कोटा,

नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक) में ही गठित की गई है जिनमें 5176 स्वयं सेवक हैं।

इनके नियन्त्रण, प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भी शहरी गृह रक्षा में पदस्थापित समादेष्टा की है तथा उनकी सहायतार्थ नियमित स्टाफ स्वीकृत है जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियाँ	विशेष विवरण
अधीनस्थ सेवा :					
1.	कम्पनी कमाण्डर	4	4	—	
2.	प्लाटून कमाण्डर	18	13	5	
3.	मुख्य आरक्षी	38	25	13	
4.	आरक्षी	3	—	3	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	16	14	02	
2	चौकीदार	02	—	02	
3.	कुक	05	03	02	
	योग :	86	59	27	

- वर्तमान में विभाग में 1006 नियमित कार्मिकों की नफरी स्वीकृत है जिसके विरुद्ध वर्तमान में 489 अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 517 पद रिक्त चल रहे हैं। उपरोक्त दी गई सूचियों में स्थिति वर्ष दिसम्बर 2018 तक की दर्शाई गई है।
- इस विभाग में 19 अधिकारी/ कर्मचारियों को राज्य कार्य को देखते हुए रिक्त पदों के विरुद्ध अस्थाई रूप से पदस्थापित किया गया है।
- सीमा गृह रक्षा, शहरी व ग्रामीण गृह रक्षा के कुल 30714 स्वयं सेवकों का विभिन्न जिलों में वितरण परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है।

डिप्लॉयमेण्ट :

वर्ष 2018–19 में माह अप्रैल, 2018 से दिसम्बर 2018 तक सीमा, शहरी, ग्रामीण गृह रक्षा स्वयं सेवकों को निम्न प्रकार ड्यूटी पर नियोजित किया गया :—

(अ) शहरी / ग्रामीण गृह रक्षा

क्र.सं.	ड्यूटी का नाम	सदस्यों की संख्या	अवधि
1	रात्रीगश्त ड्यूटी	1000	10.04.2018 से 31.12.2018 तक
2	यातायात ड्यूटी	1000	10.04.2018 से 31.12.2018 तक
3	कारागृह (जेल) ड्यूटी	457	01.04.2018 से 31.12.2018 तक
4	आबकारी ड्यूटी	146	01.04.2018 से 31.12.2018 तक
5	शासन सचिवालय, ड्यूटी	271	01.04.2018 से 31.12.2018 तक

6	भेड़ निष्क्रमण, ड्यूटी	1071 (1,31,733 मैनडेज)	1.07.2018 से 31.10.2018
7	विधान सभा भवन सुरक्षा, ड्यूटी	12	01.04.2018 से 31.12.2018
8	मा.शि.बोर्ड परीक्षा 2018 ड्यूटी	60159 मैनडेज	08.03.2018 से 17.04.2018 तक
9	संस्कृत वि.वि परीक्षा 2018 ड्यूटी	40	22.03.2018 से 19.04.2018 तक
10	आरक्षी/आरक्षी वाहन चालक के रिक्त पदों के विरुद्ध (56+65)	121	01.04.2018 से 31.12.2018 तक
11	मेले/पर्वों के दौरान ड्यूटी	69555 मैनडेज	01.04.2018 से 31.12.2018 तक
12	मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018	4000 सदस्य	22.11.2019 से 29.11.2018 तक
13	राजस्थान विधान सभा चुनाव 2018	20800 सदस्य	2.12.2018 से 9.12.2018 तक
14	विभिन्न ड्यूटियां	11900 मैनडेज	01.04.2018 से 31.12.2018 तक

(ब) सीमा गृह रक्षा ड्यूटियाँ

क्र.सं.	ड्यूटी का नाम	सदस्यों की संख्या	अवधि
1	जेल ड्यूटी	500	01.04.2018 से 31.12.2018 तक
2	राज.उच्च न्यायालय, जयपुर	22	01.04.2018 से 31.12.2018 तक
3	सुपर थर्मल पॉवर, बारां	160	01.04.2018 से 31.12.2018 तक
4	सुपर किटिकल थर्मल पावर बारां	150	05.04.2018 से लगातार
5	केर्न एनर्जी, बाड़मेर	117	01.04.2018 से 31.12.2018 तक
6	सुजलान एनर्जी, जैसलमेर	31	01.04.2018 से लगातार
7	काली सिन्ध थर्मल, झालावाड	112	01.04.2018 से 31.12.2018 तक
8	हॉस्पिटल प्रोटेक्शन फोर्स	137	01.04.2018 से 31.12.2018 तक
9	सम्प्रेक्षण एवं बाल किशोर गृह, जयपुर	12	01.04.2018 से 31.12.2018 तक
10	वी.एस. लिंगनाईट पावर प्रा.लि. बीकानेर	34	01.04.2018 से 31.12.2018 तक
11	रा.रा.वि. उत्पादन निगम लि. चित्तौड़गढ़/बूँदी (6+6)	12	01.06.2018 से 31.12.2018 तक
12	दूरदर्शन केन्द्र अजमेर	03	1.4.2018 से 31.12.2018 तक
	कुल नियोजन दिनांक 31.12.2018	1290	
13	कर्नाटक विधान सभा चुनाव 2018	05 कम्पनी	02.05.2018 से 20.05.2018 तक
14	राजस्थान विधान सभा चुनाव 2018	2000 सदस्य	2.12.2018 से 9.12.2018

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में वर्ष 2018–19 में संचालित पाठ्यक्रम :

क्र.सं.	कोर्स का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों का स्तर	आवंटित सीटों की संख्या
1.	लीडरशीप रिफ्रेशर कोर्स	09.04.18 से 20.04.18	BHG sgt,cpl,lcpl	72
2	बैसिक लाईफ सपोर्ट कोर्स	23.04.18 से 04.05.18	H.G. vols	70
3	यातायात नियन्त्रण रिफ्रेशर कोर्स	07.05.18 से 18.05.18	HG VOL	70
4	झील रिफ्रेशर कोर्स	28.05.18 से 08.06.18	BHG Vol	72
5	मानद पूर्व पदोन्नति रिफ्रेशर कोर्स	11.06.18 से 22.06.18	HPC/HHC	70
6	यातायात नियन्त्रण रिफ्रेशर कोर्स	25.06.18 से 06.07.18	H.G.vols (Women)	70
7	सर्च एण्ड रेस्क्यू रिफ्रेशर कोर्स	09.7.18 से 20.07.18	H.G.vols	70
8	फील्ड काफट एण्ड टैकिट्स रिफ्रेशर कोर्स	23.7.18 से 03.08.18	BHG .vols	72
9	लीडरशीप रिफ्रेशर कोर्स	06.08.18 से 17.08.18	HPC/HHC	70
10	यातायात नियन्त्रण रिफ्रेशर कोर्स	20.08.18 से 31.08.18	HG vols . (Women)	70
11	झील रिफ्रेशर कोर्स	05.09.18 से 18.09.18	H.G.vols	70
12	लीडरशीप रिफ्रेशर कोर्स	25.09.18 से 09.10.18	HCC/HPC/ HHC	72
13	वैपन रिफ्रेशर कोर्स	22.10.18 से 02.11.18	BHG .vols	72
14	फील्ड काफट एण्ड टैकिट्स रिफ्रेशर कोर्स	12.11.18 से 23.11.18	H.G .vols	70
15	फायर फाइटिंग रिफ्रेशर कोर्स	10.12.18 से 21.12.18	H.G .vols	70
16	झील रिफ्रेशर कोर्स	24.12.18 से 10.01.19	H.G .vols	70
17	यातायात नियन्त्रण रिफ्रेशर कोर्स	7.1.2019 से 18.1.2019	H.G.vols	35
18	फील्ड काफट एण्ड टैकिट्स रिफ्रेशर कोर्स	21.1.2019 से 1.2.2019	H.G .vols	70
19	सर्च एण्ड रेस्क्यू रिफ्रेशर कोर्स	4.2.2019 से 15.2.2019	H.G.vols	70
20	मानद पूर्व पदोन्नति रिफ्रेशर कोर्स	18.2.2019 से 1.3.2019	HPC/HHC	70
21	वैपन रिफ्रेशर कोर्स	5.3.2019 से 15.3.2019	HG .vols	70

(ब) स्थाई स्टाफ के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम वर्ष 2018–19 :—

क्र. सं.	कोर्स का नाम	अवधि	स्तर	आवंटित सीटों की संख्या
1.	प्रथम डील रिफेशर कोर्स	07.05.18 से 18.05.18	HC/C t	20
2	प्रथम वैपन रिफेशर कोर्स	21.05.18 से 01.06.18	P.C	20
3	प्रथम टी.ओ.टी. रिफेशर कोर्स	02.07.18 से 13.07.18	HC/C t	20

(स) बोर्डर होमगार्डस के लिए सामूहिक प्रशिक्षण (कलेकटीव ट्रेनिंग) वर्ष 2018–19 :—

क्र. सं.	कोर्स का नाम	अवधि	दिवस	प्रशिक्षणार्थी औं की सं0	बटालियन का नाम
1.	सामूहिक प्रशिक्षण	09.04.18 से 04.05.18	20	35	द्वितीय बटालियन जैसलमेर
2	सामूहिक प्रशिक्षण	30.04.18 से 25.05.18	20	35	तृतीय बटालियन बीकानेर
3	सामूहिक प्रशिक्षण	28.05.18 से 22.06.18	20	35	चतुर्थ बटालियन श्रीगंगानगर
4	सामूहिक प्रशिक्षण	25.06.18 से 20.07.18	20	35	प्रथम बटालियन बाडमेर
5	सामूहिक प्रशिक्षण	23.07.18 से 20.08.18	20	35	द्वितीय बटालियन जैसलमेर
6	सामूहिक प्रशिक्षण	21.08.18 से 20.09.18	20	35	तृतीय बटालियन बीकानेर
7	सामूहिक प्रशिक्षण	24.09.18 से 25.10.18	20	35	चतुर्थ बटालियन श्रीगंगानगर
8	सामूहिक प्रशिक्षण	29.10.18 से 30.11.18	20	35	प्रथम बटालियन बाडमेर
9	सामूहिक प्रशिक्षण	12.12.2018 से 9.1.19	20	35	द्वितीय बटालियन जैसलमेर
10	सामूहिक प्रशिक्षण	10.1.2019 से 6.2.2019	20	35	चतुर्थ बटालियन श्रीगंगानगर
11	सामूहिक प्रशिक्षण	11.2.2019 से 8.3.2019	20	35	प्रथम बटालियन बाडमेर

पुलिस आधुनिकीकरण योजना से सहायता

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003–04 से होम गार्ड्स के आधुनिकीकरण को शामिल करते हुए योजना राशि का 5 प्रतिशत होम गार्ड्स के लिए चिन्हित किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में पुलिस आधुनिकीकरण योजना में राशि रूपये 165.00 लाख का बजट आवंटित किया गया है, परन्तु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने अभाव में क्य की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

वार्षिक योजना :-

वार्षिक योजना 2018–19 में गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, सिरोही एवं नागौर कार्यालय भवनों के निर्माण कार्य हेतु 118.80 लाख का बजट आवंटन किया गया है, परन्तु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके हैं।

प्रशस्ति पत्र :-

आलोच्य वर्ष 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 के दौरान 544 अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को अनुशासन संधारण तथा राज्य सेवार्थ कार्य के सराहनीय निष्पादनार्थ एवम् उत्साहवर्द्धनार्थ की गई सेवाओं की प्रतिष्ठा में महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा तथा उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा द्वारा नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया।

विभागीय जॉच/निलम्बन का ब्यौरा :-

गृह रक्षा विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक विचाराधीन निष्पादित विभागीय जॉच/निलम्बन आदि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रकरण	01.01.2018 को शेष	01.01.2018 के पश्चात् प्राप्त	योग	निस्तारण	शेष
1.	16 सीसीए	16	07	23	02	21
2.	17 सीसीए	04	06	10	09	01
3.	निलम्बन	07	02	09	01	08
	योग :	27	15	42	12	30

प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी

गृह विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.33(5) गृह-9/2005 दिनांक 21.01.2012 जारी कर महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा राजस्थान जयपुर को प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी रेग्यूलेशन एक्ट 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी नियुक्त किया गया हैं जिसकी पालना में फरवरी 2012 से गृह रक्षा विभाग में सिक्युरिटी सैल की स्थापना की गई है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण एवं वर्तमान में मुख्यालय पर कार्यरत स्टॉफ में से इस सैल हेतु स्टाफ लगाया हुआ है जिसकी स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम पद	उपलब्ध
1.	महानिदेशक पुलिस गृह रक्षा राजस्थान जयपुर। (कन्ट्रोलिंग ऑथरिटी)	1
2.	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस गृह रक्षा राजस्थान जयपुर।	1
3.	उप समादेष्टा (स्टोर) गृह रक्षा राजस्थान जयपुर।	1(अतिरिक्त चार्ज)
4.	कनिष्ठ सहायक	3
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
6.	गृह रक्षा स्वयं सेवक	2
7.	गृह रक्षा स्वयं सेवक(वाहन चालक)	1

गृह रक्षा विभाग में राजस्थान राज्य की विभिन्न निजी सुरक्षा ऐजेन्सियों से लाईसेंस हेतु आवेदन प्रपत्र के साथ प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम –2005 में निर्धारित फीस के रूप में दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक प्राप्त डी.डी. राशि रु. 67,30,000/- (अनुमानित) राज्य कोष के आय मद में जमा कराई गई है।

प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम –2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अधिसूचनायें जारी कर निम्नानुसार कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटीज की नियुक्ति की गई है जिनके द्वारा प्राईवेट सुरक्षा ऐजेन्सियों को आवंटित किये गये लाईसैन्सों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	नियंत्रण अधिकारी का नाम	सिक्यूरिटी व प्रशिक्षण कार्यों हेतु आवंटित लाईसैन्स की संख्या
1.	गृह सचिव, राजस्थान सरकार	35
2.	निदेशक, राज्य पुलिस एकेडमी	261
3.	महानिरीक्षक पुलिस (सुरक्षा)	295
4.	महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा, राजस्थान (31.12.2018 तक)	1239
5.	लाईसैन्स नवीनीकरण (31.12.2018 तक)	112

भाग – 4 (बजट संबंधी सूचना)

बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति वित्तीय वर्ष 2018–19

बजट मद – 2070– अन्य प्रशासनिक सेवाएं

00

107—गृह रक्षा,
(01) शहरी गृह रक्षा

00

(राशि लाखो मे)

विस्तृत मद	बजट प्रावधान वर्ष 2018–19				31.12.2018 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	अतिरिक्त आवंटन	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
01— संवेतन	2175.00	725.00	00.00	2900.00	1555.99	456.27	2012.26
03— टी.ए.	15.00	5.00	20.00	40.00	13.98	2.90	16.88
04— मैडीकल	15.00	0.00	00.00	15.00	10.44	0.00	10.44
05— कार्यालय व्यय	37.50	12.50	12.30	62.30	29.04	6.86	35.90
08—वृत्तिक और विशिष्ट सेवायें	10.00	0.00	00.00	10.00	2.39	0.00	2.39
09— किराया कर	10.00	0.00	00.00	10.00	3.77	0.00	3.77
11— विज्ञापन/प्रचार/प्रसार	0.30	0.10	00.00	0.40	0.12	0.01	0.13
12— सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	23.50	0.00	00.00	23.50	12.08	0.00	12.08
18— मशीनरी एवं साज समान	30.00	10.00	00.00	40.00	26.74	8.85	35.59
20— वाहन संधारण	27.00	9.00	11.30	47.30	29.44	8.08	37.52
29— प्रशिक्षण भ्रमण, सम्मेलन	0.30	0.10	00.00	0.40	0.00	0.00	0.00
32— डिक्टी प्रभार	0.01	0.00	00.00	0.01	0.00	0.00	0.00
36— वाहनों का किराया	0.01	0.00	00.00	0.01	0.00	0.00	0.00
37— लिवरीज़	0.81	0.27	00.00	1.08	0.53	0.12	0.65
41— संविदा व्यय	5.00	0.00	00.00	5.00	0.11	0.00	0.11
42— प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय	1932.50	67.50	2976.14 4	4976.14	3547.69	12.33	3560.02
योग :-	4281.93	829.47	3019.74	8131.14	5232.32	495.42	5727.74

बजट मद – 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107-गृह रक्षा

(02) सीमा गृह रक्षा

00

(राशि लाखों में)

विस्तृत मद	बजट प्रावधान वर्ष 2018–19				31.12.2018 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	अतिरिक्त आवंटन	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
01– संवेतन	247.50	742.50	0.00	990.00	171.64	482.95	654.59
03– टी.ए.	1.88	5.62	5.00	1250	1.75	5.15	6.90
04– मैडीकल	3.00	0.00	0.00	3.00	0.06	0.00	0.06
05– कार्यालय व्यय	3.00	9.00	2.00	14.00	2.58	5.27	7.85
09– किराया कर	0.15	0.00	0.00	0.15	0.09	0.00	0.09
11– विज्ञापन/प्रचार/प्रसार	0.04	0.11	0.00	0.15	0.03	0.07	0.10
18– मशीनरी एवं साज सामान	7.50	22.50	0.00	30.00	1.80	5.74	7.54
20– वाहन संधारण	5.00	15.00	4.00	24.00	6.11	14.44	20.55
29– प्रशिक्षण भ्रमण, सम्मेलन	0.01	0.04	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
37– लिवरीज़	0.17	0.51	0.00	0.68	0.07	0.03	0.37
42– प्रोत्साहन एंव मानदेय व्यय	125.00	375.00	161.68	661.68	66.91	113.38	180.29
योग	393.25	1170.28	172.68	1736.21	251.04	627.30	878.34

बजट मद–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107– गृह रक्षा

(03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना

[01] पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत शहरी गृह रक्षा हेतु

(राशि लाखों में)

उप मद	बजट प्रावधान वर्ष 2018–19			31.12.2018 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
06– वाहनों का क्रय	7.60	11.40	19.00	0.00	0.00	0.00
18–मशीनरी एवं साज सामान	24.00	36.00	60.00	0.00	0.00	0.00
योग:-	31.60	47.40	79.00	0.00	0.00	0.00

बजट मद-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107- गृह रक्षा

(03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना

[02] पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत सीमा गृह रक्षा हेतु
(राशि लाखों में)

उप मद	बजट प्रावधान वर्ष 2018-19			31.12.2018 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
06- वाहनों का क्रय	22.40	33.60	56.00	0.00	0.00	0.00
18-मशीनरी साज- सामान	12.00	18.00	30.00	0.00	0.00	0.00
योग:-	34.40	51.60	86.00	0.00	0.00	0.00

बजट मद - 4059-80-051-05-02

गृह रक्षा हेतु प्रशासनिक भवन

(राशि लाखों में)

उप मद	बजट प्रावधान वर्ष 2018-19			31.12.2018 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
17-भवन निर्माण	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00
योग:-	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00

बजट मद - 2059- लोक निर्माण कार्य

80 - सामान्य

053 - रख रखाव तथा मरम्मत


(28) - गृह रक्षा विभाग

00 - (राज्य निधि)

विस्तृत मद	बजट प्रावधान वर्ष 2018-19	31.12.2018 तक का व्यय
21 - अनुरक्षण एवं मरम्मत	0.01	0.00
योग	0.01	0.00

गृह रक्षा संगठन का मानचित्र
निदेशालय महानिदेशक गृह रक्षा
महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा
रिक्त महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा
महासमादेष्टा, गृह रक्षा (प्रशासन)
महासमादेष्टा, गृह रक्षा (प्रशिक्षण)
सीनियर स्टॉफ आफिसर-प्रथम
सीनियर स्टॉफ आफिसर-द्वितीय
नेयर स्टॉफ आफिसर / उप समादेष्टा

परिशिष्ट “अ”



परिशिष्ट 'ब'

होम गार्ड्स की स्वीकृत/ऑन रोल नफरी/कमी का विवरण							(दिनांक 31.12.2018 की स्थिती)		
क्र.सं.	जिले का नाम	पुरुष	महिला	योग	ग्रामीण	कुल योग	मौजूदा	कमी	नियोजित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	1575	75	1650	220	1870	1753	117	451
2.	अलवर	805	75	880	360	1240	1118	122	356
3.	बाड़मेर	515	0	515	0	515	462	53	117
4.	बांसवाड़ा	365	35	400	0	400	356	44	134
5.	बारां	315	0	315	220	535	500	35	91
6.	बीकानेर	1135	40	1175	0	1175	1090	85	281
7.	भरतपुर	740	35	775	255	1030	942	88	253
8.	भीलवाड़ा	660	35	695	220	915	829	86	231
9.	बून्दी	330	35	365	220	585	537	48	159
10.	चूरू	459	35	494	190	684	592	92	122
11.	चितौड़गढ़	330	0	330	550	880	792	88	237
12.	दौसा	384	0	384	145	529	504	25	73
13.	धौलपुर	220	0	220	220	440	410	30	176
14.	झूंगरपुर	365	35	400	0	400	376	24	78
15.	गांगानगर	695	40	735	0	735	677	58	212
16.	हनुमानगढ़	466	35	501	0	501	487	14	112
17.	जयपुर	2670	185	2855	330	3185	3005	180	2270
18.	जालौर	295	0	295	0	295	275	20	71
19.	जैसलमेर	440	0	440	0	440	409	31	149
20.	झालावाड़	220	35	255	220	475	447	28	189
21.	झुन्झुनु	220	35	255	110	365	338	27	74
22.	जोधपुर	1890	110	2000	366	2366	2234	132	774
23.	करौली	440	0	440	0	440	403	37	60
24.	कोटा	1610	40	1650	365	2015	1942	73	614
25.	नागौर	440	35	475	306	781	716	65	116
26.	पाली	585	35	620	220	840	761	79	222
27.	प्रतापगढ़	330	0	330	0	330	312	18	63
28.	राजसमन्द	455	70	525	110	635	593	42	213
29.	स.माधोपुर	440	0	440	184	624	602	22	240
30.	सीकर	623	35	658	110	768	670	98	123
31.	सिरोही	220	0	220	110	330	285	45	38
32.	टोंक	440	0	440	145	585	471	114	59
33.	उदयपुर	1050	92	1142	0	1142	1016	126	696
	योग	21727	1147	22874	5176	28050	25904	2146	9054

सीमा गृह रक्षा दल की स्थिति

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वीकृत	मौजूदा	कमी	नियोजित
1.	बाड़मेर	666	646	20	330
2.	जैसलमेर	666	647	19	320
3.	बीकानेर	666	652	14	321
4.	गांगानगर	666	644	22	319
	योग	2664	2589	75	1290